International Journal of Multidisciplinary Trends

E-ISSN: 2709-9369
P-ISSN: 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2021; 3(1): 22-24
Received: 15-11-2020
Accepted: 17-12-2020

डॉ0 वीना उपाघ्याय
असि0 प्रो0–अर्थशास्त्र विभाग
करामत हुसैन महिला पी0 जी0 कालेज लखनउ, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
डॉ0 वीना उपाघ्याय
असि0 प्रो0–अर्थशास्त्र विभाग
करामत हुसैन महिला पी0 जी0 कालेज लखनउ, उत्तर प्रदेश, भारत

क्षेत्रीय आर्थिक विकास में स्व-रोजगार का महत्त्व

डॉ0 वीना उपाघ्याय

सार
ग्रामीण क्षेत्र में संकुचित होता कृषि क्षेत्र मांग और पूर्ति के बीच उत्पन्न होने वाले असन्तुलन को दूर करने में असफल रहा है। ग्रामीण अँचलो की इस समस्या ने ग्रामीण युवकों को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने में मजबूर किया है। सीमित शहरी क्षेत्र गांवो से आती इस आबादी को अपनाने में भौगोलिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से असफल रहे है और यहीं कारण है कि बडे महानगरों में गन्दी बस्तियो का उत्रोत्तर विकास हुआ है। ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र की क्रियाओ से हटाकर उन्हे गैर–कृषि आय देने वाली क्रियाओ में सलग्न किया जाना ग्रामीण विकास की एक मौलिक आवश्यकता है। ग्रामीण युवा आज मजदूरी रोजगार की तलाश में शहरो की ओर पलायन करने के लिए बाध्य है। जिसका मूल कारण है–ग्रामीण क्षेत्र में सीमित रोजगार अवसर एवं अन्य विकास परक सुविधाओ का अभाव । ग्रामीण युवओं में फैली बेरोजगारी की समस्या का समाधान इन क्षेत्रो में स्थानीय संसाधनो के अनुकूल स्व–रोजगार अवसरो के सृजन एवं विदोहन द्वारा ही सम्भव है ताकि बेरोजगार ग्रामीण युवा ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादकीय गतिविधियो में सलग्न होकर इस क्षेत्र के समन्वित विकास में योगदान दे सके।

कुटशब्दः आर्थिक विकास और स्व–रोजगार ।

प्रस्तावना
विकास मुख्यतया मानवीय प्रयासों का सकारात्मक परिणाम है। विकास के लिए वस्तुतः अभिवृद्धि, उन्नति, आधुनिकीकरण, प्रगति तथा रूपान्तरण शब्द भी प्रयुक्त किये जाते है, किन्तु इनकी अवधारणा बड़ी जटिल है। दूसरे शब्दों में आर्थिक विकास बहुमुखी प्रवृत्ति का द्योतक है, जिसमें केवल मौद्रिक आय में वृद्धि सम्मिलित नही होती ,वल्कि सामाजिक आदतों ,शिक्षा ,जनस्वास्थ्य अधिक आराम और वास्तव में उन समस्त सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में वृद्धि सम्मिलित होती है, जो एक पूर्ण एवं सुखी जीवन का निर्माण करती है। वास्तव में विकास की संकल्पना–आर्थिक वृद्वि, आर्थिक समानता और स्वयं आर्थिक विकास की विचारधारा में सन्निहित है। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बडा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र का है जहाँ की आबादी का मुख्य आय स्रोत एक लम्बे समय तक कृषि कार्य ही रहा है। उत्तरोत्तर बढते जनसंख्या दबाव और बदलते सामाजिक मूल्यों के अधीन होने वाले भूमि के अपखण्डन एवं उपखण्डन के कारण कृषि भू–खण्ड घटित होकर सीमान्त जोतों अथवा उससे छोटे जोतो में बदलते जा रहे है और परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र से उत्पन्न आय बढती आबादी को ग्रामीण स्तर पर समुचित रूप में बुनियादी आवश्यकताओं ''रोटी; कपडा और मकान'' तक उपलब्ध कराने में असफल होती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में संकुचित होता कृषि क्षेत्र मांग और पूर्ति के बीच उत्पन्न होने वाले असन्तुलन को दूर करने में असफल रहा है। ग्रामीण अँचलो की इस समस्या ने ग्रामीण युवकों को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने में विवश किया है। सीमित षहरी क्षेत्र गांवो से आती इस आबादी को अपनाने में भौगोलिक एवं पर्यावरणीय दृश्टि से असफल रहे है और यहीं कारण है कि बडे महानगरों में गन्दी बस्तियो का उत्रोत्तर विकास हुआ है। ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र की क्रियाओ से हटाकर उन्हे गैर –कृषि आय देने वाली क्रियाओ में सलग्न किया जाना ग्रामीण विकास की एक मौलिक आवश्यकता है। ग्रामीण युवा आज मजदूरी रोजगार की तलाश में शहरो की ओर पलायन करने के लिए बाध्य है जिसका मूल कारण है–ग्रामीण क्षेत्र में सीमित रोजगार अवसर एवं अन्य विकास परक सुविधाओ का अभाव । ग्रामीण युवओं में फैली बेरोजगारी की समस्या का समाधान इन क्षेत्रो में स्थानीय संसाधनो के अनुकूल स्व–रोजगार अवसरो के सृजन एवं विदोहन द्वारा ही सम्भव है ताकि बेरोजगार ग्रामीण युवा ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादकीय गतिविधियो में सलग्न होकर इस क्षेत्र के समन्वित विकास में योगदान दे सके।

''स्व–रोजगार उद्यमिता विकास''एक दूसरे के कारण और परिणाम है अर्थात् स्व–रोजगार के लिए उद्यमिता विकास एक अनिवार्यता है उद्यमिता विकास के लिए स्व–रोजगार परक प्रषिक्षण उसका पूरक पहलू है। ग्रामीण क्षेत्रो में उद्यमिता विकास का सृजन एवं स्व–रोजगार क्रियाओं के विस्तार का उददेश्य ग्रमीण बेरोजगार युवाओं को स्व–रोजगार स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण देना है ताकि तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करके ग्रामीण युवा उद्यमी की आवष्यक विषिश्टता को प्राप्त करके आर्थिक

दृश्टि से आत्मनिर्भर हो सके। उद्यमिता विकास एवं स्वरोजगार की आवश्यकता निम्नांकित बिन्दुओं में इंगित की जा सकती है–

1. ग्रामीण स्त्री एवं पुरूष (बेरोजगार अथवा अर्द्ध बेरोजगार) के लिए अतिरिक्त आर्थिक लाभदायी नियमित रोजगार उपलब्ध कराना।
2. ग्रामीण क्षेत्रो के स्थानीय संसाधनों के उत्पादकीय विदोहन के अनुरूप स्व–रोजगार प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
3. ग्रामीण आर्थिक संरचना की कल्पना को सुदृढ करने के लिए स्थायी वित्तीय आधार तैयार करना ताकि ग्रामीण आर्थिक विकास में योगदान करके ग्रामीण समाज अपने जीवन स्तर का विकास कर सके।

यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि भारत के आर्थिक विकास के लिए हमें अपने क्षेत्रीय संसाधन स्रोतो के अधिकाधिक लाभ दोहन करने की प्रक्रिया से गुजारना होगा। ग्रामीण अंचलों में व्यक्तियो की बेरोजगारी और स्थानीय संसाधनों के उचित विदोहन का अभाव यह स्पष्ट करते है कि हमारे देश में विशेषकर ग्रामीण अंचनों में मानव श्रम शक्ति का दोहन उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप अपेक्षित मात्रा में नहीं हो पा रहा है जो आर्थिक विकास और सम्पन्नता के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इस मानव श्रमशक्ति का दोहन हमारी प्रबन्ध क्षमता सन्तुलित दृष्टि और निष्ठापूर्ण रचनात्मक प्रयत्नो पर निर्भर है। यही कारण है कि स्वतन्त्रता के बाद शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में आधारभूत सुविधावों के विकास पर निरन्तर बल दिया जा रहा है यद्यपि देश की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में अतिरिक्त रोजगार सृजन की संभावनाओं का विकास करने की अनेक योजनाओं का सुत्रपात हुआ है लेकिन बदलते ग्रामीण परिवेश में '' स्वरोजगार'' ग्रामीण विकास के लिए एक शुभ लक्षण है।

''स्व–रोजगार'' के पीछे मूल दर्शन है– ''ग्रामीण युवाओं में उद्यमी की क्षमताएं दृष्टिकोण एवं विशिष्टताएं विकसित करना'' क्योकि यह एक सर्वविदित सत्य है कि भारत अन्य संसाधनों जैसे– भूमि वन खनिज जल मानव शक्ति पशु शक्ति आदि में धनी है और साथ ही परम्परागत कौशल उसे विरासत में मिला है। ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था में लोगो का रहन–सहन स्तर इतना निम्न होता है कि ग्रामीण क्षेत्रो में आय के अतिरिक्त निःसन्देह एक क्षमतावान विस्तृत बाजार का निर्माण करने मे सहायक है। भौतिक एवं मानवीय शक्ति से ग्रामीण क्षेत्र परिपूर्ण है किन्तु उन दोनों को एक–दूसरे का कारण एवं परिणाम बनाने का समन्वित प्रयास आरम्भ नहीं हो सका है। स्व–रोजगार क्रियाओं के लिए प्रशिक्षण द्वारा उद्यमिता विकास वह उत्प्रेरक घटक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक एवं मानवीय शक्तियो का उचित समन्वय के साथ विदोहन करके नये रोजगार अवसरों का सृजन करने का उचित माध्यम है। मानवीय पूँजी निर्माण द्वारा उद्यमिता विकास उत्पादको के रूप में लोगों की योग्यताओं और क्षमताओं में सुधार करने के लिए किया जाता है। इसके अन्तर्गत शिक्षा स्वास्थ्य सुधार एवं विशेष योग्यताओं के लिए श्रमिकों के प्रशिक्षण पर किया गया विनियोग सम्मिलित होता है।

शिक्षा प्रशिक्षण और उससे प्राप्त अनुभव युवाओं की काम करने की योग्यता और कुशलता को बढातें है और यही कारण है कि शिक्षा प्रशिक्षण के रूपमें मानवीय पूँजी निर्माण उद्यमिता विकास का महत्वपूर्ण स्रोत है। शिक्षा प्रशिक्षण में किया गया विनियोग श्रम–शक्ति की उत्पादकता को बढाकर विकास की गाति को तेज करनें में सक्षम है। ''शिक्षा और प्रशिक्षण में किया गया विनियोग केवल उत्पादकीय ही नहीं होता बल्कि वह बढता हुआ प्रतिफल देता है।'' अतः ग्रामीण स्तर पर शिक्षा एवं प्रशिक्षण का विस्तार स्व–रोजगार परक उद्यमिता किास सृजित करके ग्रामीण रूपान्तरण की एक पूर्व शर्त है।

देश के नियोजन में ग्रामीण क्षेत्र की बढती बेरोजगारी की समस्या के निदान के लिए ग्रामीण औद्योगीकरण के विस्तार की नीति अपनायी गयी ताकि ग्रामीण युवाओं को औद्योगिक क्रियाओं का प्रशिक्षण देकर स्व–रोजगार केन्द्रित औद्योगिक क्रियाओं के साथ सम्बद्ध किया जा सके और ग्रामीण अंचलों में ही अतिरिक्त रोजगार एवं आय के स्तर सृजित किए जा सके। वर्तमान में षहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की विषमताओं को कम करने के लिए ग्रामीणएवं पिछडे क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की रणनीति को स्वीकार्य किया गया है और इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए उद्योगों के विकास में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सुनियोजित ढंग से नीतियों एवं कार्यक्रमों को संचालित करनें पर प्राथमिकता दी जा रही है तथा राज्य सरकारों द्वारा उद्योगों में अधिकाधिक पूँजी निवेश करने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे है

जनसंख्या एवं साधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का एक महत्वपूर्ण प्रदेश है उद्योग नीति वर्ष 1998 के अन्तर्गत प्रदेश को गातिशील आर्थिक परिदृष्य औद्योगिक विकास में प्रचुर सम्भावनायें संसाधनों की उपलब्धता उदारीकरण की प्रक्रिया एवं बाजार सुधारों से उद्योगो की समृद्धि के लिए अत्यधिक अवसर सृजित हुए है। नियोजित ढंग से औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक नीति के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कई महत्वपूर्ण नीतियों की स्पष्ट रूप से घोषणा की गयी जिसमें निर्यात नीति एवं खनिज नीति प्रमुख है।

वर्तमान में बदलते परिवेश के अनुसार सरकारी नीतियों में समय–समय पर परिवर्तन किये गए ताकि उद्योग इन चुनौतियों का निर्भीक एवं प्रभावी ढंग से सामना कर सके। अधिकाधिक पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उददेश्य से अनिवासी भारतीयों को विशेष रिसायतों दिए जाने का निश्चय किया गया है। प्रदेश में बडी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित करने औद्योगिक गलियारों के विकास प्रदेश में लघु उद्योगों द्वारा किए जा रहे उत्पादों के विपणन हेतु प्राइवेट कम्पनियों की संसचना कर्मचारियो की दक्षता में बृद्धि एकल टेक्नोलाजी मिशन के माध्यम से प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक समूहों को विकसित किए जाने पर इस प्रदेश के औद्योगिक स्वरूप में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। निससे न केवल वर्तमान औद्योगिक वातावरण सुदृढ होगा अपितु भविष्य में भी अधिकाधिक पूंजी निवेश की संभावनायें प्रबल होगी। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से कतिपय उद्योगों के महत्वपूर्ण क्लस्टर कार्यरत है। इन क्लस्टरों के सम्बन्ध में निदेशालय द्वारा इण्टीग्रेटेड प्रोजेक्ट भी तैयार किए जा रहे है। उद्योगो का जिससे एक ओर जहाँ वर्तमान स्तर बढेगा वहीं उद्योगो का अन्तर्राश्ट्रीय औद्योगिक बाजार में भी प्रवेश होगा। उत्तर प्रदेश में औद्योगिकी करण का स्तर निम्न है। इसको इस बात से समझा जा सकता है कि राज्य आय में विनिर्माण की हिस्सेदारी 1996–97 में सर्वाधिक 14.8 प्रतिशत थी जो बढने के बनाए घटकर 2001–02 में 12.2 प्रतिशत रह गया है। वैसे भी यहाँ पर राज्यो के मुकाबले औद्योगीकरण काफी पीछे रहा है लेकन वर्तमान सुधार हो है।

औद्योगीकरण के संकुचित आधार और निम्न विकास दर के कारण उत्तर प्रदेश का विकास दर सन्तोष जनक नहीं है। द्वितीयक खण्ड का वार्षिक विकास दर अस्सी के दशक में 8.3 प्रतिशत था जो घटकर नब्बे के दशक में 5.8 प्रतिशत रह गया है। इसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पडा क्योकि इसका विकास दर भी 4.8 प्रतिशत से गिरकर 4.0 प्रतिशत रह गया। सर्वाधिक कमी बडे उद्योगों के विकास दर पर आयी है जबकि गैर–पंजीकृत विनिर्माण का बृद्धि दर 5.8 से 6ण्8 प्रतिशत वार्षिक के बीच लगभग स्थिर बना हुआ है।

प्रदेश का औद्योगिक आधार न केवल संकुचित है अपितु इसका प्रभाव भी असंतुलित है। प्रदेश की पूर्वी क्षेत्र और बुन्देलखण्ड क्षेत्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से काफी पिछडे क्षेत्र है।

सीमेन्ट;चीनी ; वनस्पति एवं वस्त्र उद्योगो की गिनती प्रदेश के अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योगो में की जाती है परन्तु इनका विकास भी समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा है विशेष तौर पर सूती वस्त्र उद्योगो की स्थिति संतोष जनक नहीं है जिसमें लगातार गिरावट का रूख बना हुआ है।

प्रदेश का औद्योगिक विकास के धीमी गाति से बढने के कई कारण है। इनमें से प्रमुख है : अवस्थापना सुविधाओं का अभाव पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योगों की उपेक्षा केन्द्रीय परियोजना का उत्तर प्रदेश से बेरूखी उपलब्ध संसाधनों का समुचित दोहन न हो पाना इत्यादि। यद्यपि राज्य सरकार समय–समय औद्योगिक विकास के लिए कदम उठाती रहती है फिर भी इस दिशा में सतत एवं बडे प्रयासो के द्वारा औद्योगिक विकास को समुचित माहौल प्रदान करके प्रदेश की अर्थव्यवस्था को उत्थान के पथ पर ले जा सकता है। प्रदेश में निर्यात को बढावा देने के लिए सृदृढ प्रशासनिक एवं संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित करने के उददेश्य से एक्सपोर्ट ब्यूरो का गठन किया गया तथा उद्योग निदेशालय का निर्यात सेल सुदृढ किया जा रहा है। निर्यात में उपयोग होने वाले कच्चे माल आदि में व्यापार कर की छूट निर्यातक इकाइयो को विशिष्टता की श्रेणी में रखने ग्रीन कार्ड जारी किए जाने की व्यवस्था श्रम कानूनों के पुनरीक्षण आदि से प्रदेश का नियोजन निश्चित रूप से गातिशीलता प्राप्त करेगा।

पूँजी निवेश प्रोत्साहित किए जाने हेतु उठाये गये विशेष कदम प्रदेश में सुनियोजित विकास के उददेश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1998 में कई महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा की गयी जिसमें औद्योगिक नीति निर्यात नीति एवं खनिज नीति प्रमुख रूप से है जिनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है । इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के औद्योगीकीरण पर अनुकूल प्रभाव परिलक्षित होने लगा है। औद्योगिकीकरण वातावरण को नई दिशा मिली है। प्रदेश के अच्छे उद्योगो को ''स्टार कैटेगरी '' देने की योजना। प्रदेश में प्रथम बार अच्छे उद्योगो को प्रतिश्ठा दिलाने एवं उनको प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न श्रेणियो में स्टार से अलंकृत करने की योजना उत्तर प्रदेश में प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश को अच्छे औद्योगिक इकाइयों को उनकी अच्छी उपलब्धियों के आधार पर एक से साथ स्टार श्रेणियो से अंलकृत किया जाता है। स्टार कैटेगरी से अलंकृत इकाइयों को निम्नलिखित सुविधायें देने हेतु शासन ने आदेश निर्गत कर दिए है:–

1. स्टार कैटेगरी की उच्चतम चार श्रेणी की इकाइयों को विद्युत विभाग के आनर्स प्रतिबन्ध से मुक्त रखा जायेगा।
2. स्टार कैटेगरी इकाइयो को अतिरिक्त विद्युत भार प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।
3. स्टार कैटेगरी प्रमाण–पत्र उद्योगो को यू0पी0एस0आई0डी0सी0 व उद्योग निदेषक द्वारा विकसित भूखण्डों व शेडों के आवंटन में वरीयता दी जायेगी।
4. स्टार कैटेगरी प्रमाण–पत्र उद्योगो को पिकप व उ0प्र0 वित्तीय द्वारा अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किये जाने में वरीयता दी जायेगी।

स्टार कैटेगरी प्रमाण–पत्र ऋण ऐसे उद्योग जिनके विरूद्ध प्रबन्ध का कोई प्रमाण न हो व वित्तीय कर बकाया न हो द्वारा बिक्री कर फार्म में घोषित बिक्रीदर विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया जायेगा। किन्तु ऐसे उद्योगो द्वारा बिक्रीदर के नक्शों में मांगी गयी छूट के प्रमाण में फार्म या प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। जाँच में फार्म संख्या तथा प्रमाण–पत्र नियमानुसार हो जाने पर नक्षों में घोशित बिक्री कर को स्वीकार किया जायेगा ऐसे उद्योगो के अभिलेखों की जांच 5 वर्ष में एक बार की जायेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ अन्य सुविधायें भी दिलाये जाने हेतु उद्योग निदेशालय प्रयासरत है।

सन्दर्भः

1. भारतीय अर्थशास्त्र, चतुर्भुज मामोरिया : चतुर्थ संस्करण पेज 115–117।
2. क्लार्क, इकोनामिक्स टाइम्स, जून 1981।
3. मिर्डल, गुर्नार, द पोलिटिकल एलीमेंट इन द डवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक थियरी, लोवे एण्ड ब्राइन्डन प्रिन्टर्स लि., लन्दन, फिफ्थ एडीशन, 1971,
4. Datta B. The Economics of Industrilization, 56.
5. पाठक, सी0 आर0, 1979 : रिजनल वैरिएसन इन इन्डस्ट्रियल ग्रोथ, इन इंडिया, पेपर प्रजेन्टेड ऐट इंडो ब्रिटिश सेमीनार, आन रिजनल डेवलपमेन्ट पॉलिसीज् इन डेवलपिंग कन्ट्रीज्, मैसूर।
6. गोसल, जी0एस0 एण्ड गोपाल कृष्णन, 1979 : रिजनल डिस्पैरिटीज् इन लेवल आफ सोसियो इकोनामिक डेवलपमेन्ट इन पंजाब, जाग्रफी डिपार्टमेन्ट पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़।